

17/04/25

अधिवक्ता अपीलॉट उपास्थित अपीलॉट एवं
उनके अधिवक्ता को प्रकरण में रेस्पॉन्डेंट के नोटिस
पेश करने हेतु ऊर्ध्व अवसर प्रदान किये जाने
के बावजूद आज दिनांक पेशी तक रेस्पॉन्डेंट के समर्थन
पेश नहीं किये हैं। अधिवक्ता अपीलॉट को
उपरोक्त मुख्य न्यायालय के आदेशों की अवहेलना
में परिलक्षित होगा। लिहाजा पत्रावली अदम्य
तकमील में जारी रखी जा रही है। पत्रावली फ़ैसल
शुमार लेकर बाद आवश्यक कार्यवाही दायित्व
रुम्बर हो।